

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2005—कार्तिक 20, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—केन्द्र शासन द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15.(1) में की गई अपेक्षा के अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग” का गठन करता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 कहलाएंगे.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

2. परिभाषाएं—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) से है.
 - (ख) “धारा” का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है.
 - (ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं.
3. धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के “मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्ति” में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा.
4. धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के “मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्ति” में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :—
- (क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपये,
 - (ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं
 - (ग) नमूना अथवा माडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,
 - (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये की शुल्क.
5. धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के “मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्ति” में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :—
- (क) सी. डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी. डी. या फ्लापी, एवं
 - (ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिये नियत कीमत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.